अनुस्मारक-I

सं॰ 9-1/2024सतर्कता
भारतसरकार
कृषिएवंकिसानकल्याणमंत्रालय
कृषिएवंकिसानकल्याणविभाग
वनस्पति,संरक्षण,संगरोध एवंसंग्रहनिदेशालय
एनएच-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

दिनांक:31.01.2024

कार्यालयज्ञापन

विषय: वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद के प्रशासनिक दायरे के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 (31.12.2023 तक) के लिए अचल संपत्ति विवरण(आईपीआर) ऑनलाइन जमा करने के संबंध में।

कृपया निदेशालय के संसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। केन्द्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 31.01.2024 तक प्रस्तुत किया जाना **आवश्यक** है। अतः वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फ़रीदाबाद के प्रशासनिक दायरे के अंतर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस अनुभाग को लिए अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के भीतर अर्थात 31.01.2024 को या उसके पूर्व आईपीआर जमा न करने पर प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन एवं संवेदनशील पदों पर तैनाती/सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) के लिए **सतर्कता निकासी से इंकार** कर दिया जाएगा क्योंकि उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आईपीआर की स्थिति जाँच की जाएगी।

3. अतः निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2023 (31.12.2023 तक) के लिए अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) समय पर यानी **31.01.2024 से पहले ई-एचआरएमएस (E-HRMS) पोर्टल** के माध्यम से **अवश्य** जमा करें। वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (एआईपीआर) को भौतिक(physical) रूप में दाखिल करना इस वर्ष से निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संदर्भ में **समाप्त** कर दिया गया है।

4. सभी से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन जमा किए गए उक्त वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (एआईपीआर) का प्रिंट आउट लें और इसे अपने प्रभारी अधिकारी के माध्यम से या स्वयं इस अनुभाग में जमा करें, अन्यथा उपरोक्त **पैरा 02** में उल्लिखित उद्देश्य के लिए सतर्कता निकासी से इंकार कर दिया जाएगा।

मृणाल 31.01.2024
(मृणाल)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

(i) निदेशालय के जीसीएस/सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस/एसएसएस (सीएसओएलएस को छोड़कर) के सभी अधिकारी/कर्मचारी (निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से)
(ii) प्रभारी, आईटी सेल को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(iii) निदेशालय में ई-एचआरएमएस पोर्टल के सभी नोडल अधिकारी/निदेशालय के क्षेत्रीय/उप कार्यालयों के सभी प्रभारी अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन के को सभी अधिकारियों/कर्मचारियों कअतिशीघ्र जीसीएस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल पर तुरंत शामिल करने के अनुरोध के साथ।
(iv) वनस्पति संरक्षण सलाहकार के निजी सचिव को सूचनार्थ।